कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष (भोपाल टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल)
जिला– भोपाल

क्रमांक 60/ ऐड./ भोज/ 2020 भोपाल, दिनांक: 26/02/2020

(समूह–5) कैम्पिग

(धरोहर राशि 50,000.00 रु.)

आवेदन/फार्म का मूल्य 5000/- रू.

1. कैम्पिंग क्षेत्र को दो हिस्सों में किया जायेगा, एक तरफ छात्र / मेल ओर दूसरी तरफ छात्राओ /फीमेल हेतु अरीना बनाया जाना होगा एवं कैंप स्थल का ले आउट प्लान बनाकर निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा ।।
2. एजेंसी को कैंप साईट को चारो तरफ मेट लगा के कवर करना होगी एवं सर्विलांस सुरक्षा के साथ समस्त रिकॉर्डिंग करके आयोजक को सौपनी होगी ।
3. एजेंसी के पास 5 अनुभव ऐसे सहसिक कैंप करने का होना चाइये तथा एजेंसी को साहसिक खेलो में पारंगत ओर प्रशिक्षित ट्रेनर मेल ओर फीमेल (प्रत्येक 15 के दल पर एक प्रशिक्षक के हिसाब से) रखना होंगे, जिनके दस्तावेज सम्मिलित करने होंगे एवं नाम बिड में बताना होंगे ।।
4. कैंप स्थल पर प्रतिदिन कैंप फायर आयोजित करना होगा, सुरक्षा कि पूरी जिम्मेदारी सम्बंधित एजेंसी कि होगी ।
5. कैंप के दौरान एजेंसी को निम्न साहसिक खेलो का प्रशिक्षण करना होगा जेसे बर्मा ब्रिज, कमांडो ड्रिल ,रेप्लिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, ग्राउंड ज़ोर्बिंग, रिवर क्रॉस ,नेचर वाक, इत्यादि । इसके आलावा मॉर्निंग वाक, पी.टी. योग, व अन्य प्रशिक्षण भी करने होंगे ,ये सारे उपकरण एजेंसी को खुद लगाने होंगे जिसका कोई अलग भुगतान देय नहीं होगा ।।
6. आयोजन स्थल से बाहर कि गतिविधि के लिए वाहन बी टी पी सी के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, ऑपरेटर अपनी सुरक्षा में उन्हें लेके जायेंगे तथा गतिविधी करवा के सूर्यास्त से पहले वापिस कैंप स्थल पर लेके आयेंगे।
7. किसी भी परिस्थिति में कैंप क्षेत्र में बाहरी व्यक्ति तथा ड्यूटी पर लगे कर्मचारी के बिना आई.डी. के प्रवेश प्रतिबंधित होगा। कैंप स्थल पर समस्त गतिविधियॉ प्रात: 6:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक ही संचालित की जावेगी। सूर्यास्त के बाद कैंप स्थल से कोई भी बाहर नहीं जायेगा।
8. कैंप में निगरानी हेतु सी.सी. टी.वी. एवं कैमरा लगाए जायें।
9. कैंप क्षेत्र को साफ़ सुथरा रखना एजेंसी का दायित्व होगा, गंदगी पाए जाने पर 1000 रूपए का स्पॉट फाइन लगाया जायेगा एवं अन्य पेनल्टी अधिरोपित की जावेगी।
10. कैंप स्थल पर एजेंसी को प्राथमिक उपचार कि व्यवस्था तथा जरुरी जीवन रक्षक दवा रखनी होंगी ।
11. कैप के सभी प्रभारी अवं प्रशिक्षक एक ड्रेस कोड में तथा आई डी के साथ रहे, तथा अनुशासन का विशेष ख्याल रखा जावे, स्थल पर खाने, ड्रिल, तथा अन्य एक्टिविटी की समय सारिणी (Time Table) बना के नोटिस बोर्ड पे लगायी जावे ओर इसी के अनुसार कार्य किया जाये । कैंप स्थल पे कोई अनाधिकृत गतिविधि संचालित नहीं होना चाहिए, अगर होती पाई गयी तो तत्काल निविदा निरस्ती कि कार्यवाही कर ब्लैक लिस्ट किया जावेगा ।
12. रात्रि में गर्ल्स के अरीना में सिर्फ महिला प्रशिक्षक को ही जाने कि अनुमति होगी, किसी आपातकालीन स्थिति में ही आयोजको को सूचित करते हुए जा सकेंगे , एजेंसी को सुनिशिचित करना होगा कि कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो ।
13. न्यूनतम दर अनुमोदित दरों से कम होने पर अन्य संस्थाओं के सहमत होने पर विचार किया जायेगा।
14. दुर्घटना की स्थिति में न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय दावा की प्रस्तावित राशि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी।

15. विवाद की स्थिति में अध्यक्ष बीटीपीसी का निर्णय मान्य होगा तथा न्यायालयीन प्रक्रिया के लिय जिला भोपाल मान्य होगा।
16. ऑपरेटरर्स को दो दिन पूर्व अपने सभी टैंट एवं उपकरण स्थापित कर उनका डिमास्टेशन एवं परीक्षण बीटीपीसी के अधिकारियो के समक्ष कराना होगा । कटे फटे एवं पुराने टेंट मान्य नहीं होंगे।
17. बीटीपीसी को यह अधिकार होगा कि वे फेस्ट की तिथि तथा अवधी कम अथवा ज्यादा कर सके ।
18. इस गतिविधि हेतु 50,000/- रू. न्यूनतम गारंटी देय होगी । कैंप परिसर में स्टाफ के टेंट प्रथक से होंगे एवं संस्था के प्रशाकीय कार्यो के लिए दो टेंट फुल साइज़ के प्रदान करने होंगे एवं प्रशिक्षक रात में कैंप स्थल पर ही रहेंगे तथा रात्री पहरे पे बारी-बारी से तैनात रहेंगे।
19. कैंप स्थल पर अनुशासन बनाये रखने का दायित्व एजेंसी का होगा, स्थल पर पानी की समुचित व्यवस्था करनी होगी एवं एक पर्यवेक्षक नियुक्त करना होगा।
20. कैंप के अन्दर कोई भी गलत कार्य पाय जाने पर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा और ब्लैक लिस्ट की कार्यवाही की जाएगी।
21. निर्धारित प्रारूप में वित्तीय एवं तकनीकी/ प्रशासकीय प्रस्ताव मय धरोहर राशि के दिनांक 06/03/2020 तक शाम 5 बजे तक कार्यालय सी.ई.ओ. जिला पंचायत भोपाल स्पीड पोस्ट/कोरियर अथवा स्वयं के द्वारा भेजे 5 बजे के बाद प्राप्त निविदा कलेक्टर भोपाल तथा अध्यक्ष बीटीपीसी की अनुमति से स्वीकार की जावेगी पोस्ट में बिलम्ब के लिए बिड कर्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे।
22. निविदा दिनांक 07.03.2020 को दोपहर 12:00 बजे कार्यालय जिला पंचायत भोपाल में निविदा का अथवा उनके प्रतिनिधी के समक्ष खोली जावेगी।
23. किसी भी जानकारी के लिए कार्यालय जिला पंचायत भोपाल अथवा मोबाइल न. 7225927773 पर कार्यालयीन समय में (10:30 से 5:00) संपर्क कर सकते है।

उपरोक्त 1 से लागयत 23 तक सभी शर्ते स्वीकार है।

नाम ....

दिनांक ....

स्थान ....

सील एवं हस्ताक्षर

आवेदक / संस्था प्राधिकारी

वित्तीय प्रस्ताव का प्रारूप

Sno.	गतिविधि	न्यूनतम 400 स्टूडेंट के लिए **<u>सादा भोजन सहित</u>** कैम्पिंग कि दरे प्रति स्टूडेंट	न्यूनतम 400 स्टूडेंट के लिए **<u>भोजन रहित</u>** कैम्पिंग कि दरे प्रति स्टूडेंट	रिमार्क
1	400 स्टूडेंट के लिए कैम्पिंग कराना मय टेंट, उपकरण, प्रशिक्षक, एवं अन्य संसाधन सहित			
2	1. ऑपरेटर स्विस टेंट 05 से 10 की संख्या में उपलब्ध करायेंगे इन टेंटों का कोई किराया दय नहीं होगा। यह प्रायोगिक तोर पर लगाये जाने हैं, जिसमें बीटीपीसी के द्वारा स्थापना व्यय तथा ट्रांसपोर्टेशन हेतु 5000/- रू. प्रति टेंट के मान से दिया जायेगा। 2. यदि इन टेंटों में व्यवसायिक बुकिंग की जाती है तो बीटीपीसी की दरों पर तय की गई बुकिंग में से 30% राशि काट कर ऑपरेटर को भुगतान कर दी जावेगी।			

1 यदि भोजन सहित दरे स्वीकृत होती है तो सादा भोजन के लिए मेन्यु बी टी पी सी के द्वारा तय किया जायेगा ।

2 टेंट (रजाई गद्दे कम्बल सहित) व उपकरण क्षतिग्रस्त, फटे हुए अथवा पुराने नहीं होना चाइये ।

3 स्विस टेंट में आवश्यक सामान एवं साज सज्जा जेसे बिस्तर.बेड,टॉयलेट टेबल कुर्सी,मेट,ऐ.सी.फेन,स्लीपर,लाइट पानी आदि की व्यवस्था होना चाहिए।

नाम ....

दिनांक ....

स्थान ....

सील एवं हस्ताक्षर

आवेदक / संस्था प्राधिकारी